Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindi Kunj, Noida Road, New Delhi- 110025
fb: https://www.facebook.com/PopularFrontofIndiaOfficial/ website: www.popularfrontindia.org
email: popularfrontmail@gmail.com Tel: 011- 29949902

नई दिल्ली
1 मार्च 2018

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जारी बयान

झारखण्ड में प्रतिबंध वापस लो
झूठे केस ख़त्म करो

झारखण्ड सरकार ने क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) ऐक्ट 1908 की धारा 16 के तहत राज्य में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। 20 फरवरी 2018 को प्रदेश मुख्यमंत्री की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी प्रेस रिलीज़ में प्रतिबंध का कारण बताते हुए यह आरोप लगाया गया कि दक्षिणी राज्यों में पॉपुलर फ्रंट के कुछ कार्यकर्ता आई.एस.आई.एस. से प्रभावित हैं। प्रतिबंध के बाद से झारखण्ड में संगठन की गतिविधियाँ रोक दी गई हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि इसके बावजूद भी गतिविधियाँ जारी रखने के झूठे आरोप में कुछ लीडरों व मेम्बरों के ख़िलाफ मुकदमे दर्ज किये जा रहे हैं। हम पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को परेशान किये जाने की निंदा करते हैं और राज्य सरकार से प्रतिबंध को वापस लेने तथा हमारे कैडरों पर से झूठे केस हटाने की मांग करते हैं।

झारखण्ड सरकार के पास झारखण्ड राज्य में संगठन के ख़िलाफ कार्यवाही को सही बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने दक्षिणी राज्यों से आने वाली कुछ झूठी ख़बरों का सहारा लिया है। उल्लेखनीय है कि केरल और कर्नाटक सरकारों ने हाल ही में बयान दिया है कि पॉपुलर फ्रंट को प्रतिबंधित करने का कोई कारण नहीं है और पॉपुलर फ्रंट पर प्रतिबंध लगाने का कोई अनुरोध केंद्र सरकार को नहीं भेजा गया है। अतः झारखण्ड सरकार का दक्षिणी राज्यों की बेबुनियाद रिपोर्टों के आधार पर संगठन पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। जहाँ तक आई.एस. से प्रभावित होने की बात है, तो जिस समय आई.एस. की ख़बरें सामने आई थीं, पॉपुलर फ्रंट उसी समय से अपने कार्यकर्ताओं और आम जनता को आई.एस. जैसे खूफिया समूहों के ख़तरे से ख़बरदार करता रहा है।

झारखण्ड सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने का मुख्य कारण क्या है? झारखण्ड में 2015 में संगठन का ऐलान किया गया। उसी समय से हमारे मेम्बरों ने भड़काऊ बयानबाज़ियों, लिंचिंग की घटनाओं और पुलिस के अत्याचार जैसे मानवाधिकार के हनन के ख़िलाफ आगे बढ़कर लड़ाई लड़ी है। राज्य में हुई लिंचिंग की कई घटनाओं के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने आवाज़ उठाई, जिसके बाद इन घटनाओं के रोशनी में आने के कारण झारखण्ड

सरकार और उसकी पुलिस पॉपुलर फ्रंट कार्यकर्ताओं से नाराज़ चल रही थीं। पॉपुलर फ्रंट ने जमतारा, लातेहार, रामगढ़ और सरायकेला लिंचिंग की घटनाओं में मारे गए लोगों के परिजनों द्वारा मामला दर्ज कराने में उनकी मदद की। पाकुड़ में बीजेपी लीडर हिसाबी रॉय के भड़काऊ भाषण के खिलाफ एक एफ.आई.आर दर्ज की गई। जिस समय संगठन पर प्रतिबंध का ऐलान किया गया, उस समय भी संगठन 6 लिंचिंग की घटनाओं सहित कई केस लड़ रहा था। इसमें दो केस पुलिस अत्याचार के खिलाफ, एक पाकुड़ एस.पी. और दूसरा जमातारा एस.पी. के खिलाफ भी थे।

पीड़ितों को लोकतांत्रक व कानूनी तरीक़ों से अपनी लड़ाई लड़ने के लायक बनाकर, पॉपुलर फ्रंट उनके और कमज़ोर वर्गों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने का काम कर रहा था और इस तरह न्याय की लड़ाई की एक नई मिसाल क़ायम कर रहा था। यही वह कारण है जिसके लिए पॉपुलर फ्रंट को झारखण्ड में निशाना बनाया जाता रहा है। जब राज्य की पुलिस को लगा कि उनके अपराध करके बच निकलने में हमारा संगठन उनके लिए रूकावट बन रहा है, तो उन्होंने याचिकाकर्ताओं को ही रास्ते से हटाकर अपने खिलाफ मामलों को खत्म करने की कोशिश है।

यह प्रतिबंध विरोध व प्रदर्शन की तमाम लोकतांत्रिक कोशिशों को दबाने की राज्य सरकार की एक चाल है। झारखण्ड सरकार सी.एल.ए. ऐक्ट का दुरूपयोग करके हमारी न्यायपालिका को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। जनता के अधिकारों के लिए लड़ने वाले किसी संगठन विशेष को प्रतिबंधित करने का उद्देश्य, सभी नागरिक समूहों व जनआंदोलनों को यह चेतावनी देनी है कि विरोध की कोई भी आवाज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पॉपुलर फ्रंट लोकतंत्र, सेक्युलरिज़्म एवं मौलिक अधिकारों जैसे हमारे महान संवैधानिक आदर्शों पर विश्वास रखता है। हम न्यायपालिका की भूमिका और क़ानून के शासन का सम्मान करते हैं। हम झारखण्ड में प्रतिबंध वापस लेने के लिए कानूनी तरीकों का सहारा लेंगे। आशा है कि आख़िर में जीत सच्चाई की ही होगी और लोगों को उनके अधिकार मिल पाएंगे।

प्रेस वार्ता को संबोधित किया:

अनीस अहमद, राष्ट्रीय सचिव, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
ई.एम. अब्दुल रहमान, सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
ए.एस. इस्माईल, ज़ोनल अध्यक्ष, नॉर्थ ज़ोन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया